कैन्टोनमैन्ट बोर्ड बरेली

सार्वजनिक नीलामी सूचना

कैन्ट बोर्ड कार्यालय के पत्रांक संख्या सीबीबी/कैटिल पाउण्ड/राजस्व/ई0-3 दिनॉक 10 जुलाई,2020 के संदर्भ में।

सर्वसाधारण को पुनः सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित व्यक्तिगण जिनके पालतू जानवर कॉजी हाउस (कैटिल पाउण्ड) में बन्द है वे सभी अपने बन्दी जानवरों को दिनॉक 01.08.2020 समय 5:00 बजे तक निर्धारित जुर्माना जमा करवाकर अवश्य रिहा करवा लें, अन्यथा निर्धारित तिथि व समय की समाप्ति के पश्चात् कार्यालय छावनी परिषद बरेली द्वारा संचालित सदर बाजार में स्थित कॉजी हाउस (कैटिल पाउण्ड) में बन्द आवारा पालतू जानवरों (जीविता) का नीलाम निम्नवत् तालिका में दर्शित तिथि व समय पर किया जायेगा :-

क्रम सं0	नीलाम किये जाने वाले जानवरों का विवरण	कॉजी हाउस (कैटिल पाउण्ड) में जानवरों के दाखिल होने की तिथि	नीलाम की तिथि	समय	अग्रिम धनराशि (EMD)	नीलाम का स्थान
01.	गाय (जीविता)	19.06.2020	05.08.2020	पूर्वान्ह 11:00 बजे से	रू0 1,000/-	कॉजी हाउस (कैटिल पाउण्ड) परिसर, सदर बाजार, बरेली कैन्ट
02.	गाय (जीविता)	19.06.2020			रू0 1,000/-	
03.	गाय (जीविता)	20.06.2020			रू0 1,000/-	
04.	गाय (जीविता)	20.06.2020			रू0 1,000/-	
05.	गाय (जीविता)	20.06.2020			रू0 1,000/-	
06.	गाय (जीविता)	20.06.2020			रू0 1,000/-	
07.	गाय (जीविता)	20.06.2020			रू0 1,000/-	
08.	गाय का बछड़ा (जीविता)	20.06.2020			रू0 500/-	
09.	गाय का बछड़ा (जीविता)	20.06.2020			रू0 500/-	
10.	गाय का बछड़ा (जीविता)	20.06.2020			रू0 500/-	
11.	गाय (जीविता)	09.07.2020			रू0 1,000/-	

2. उपरोक्त पालतू जानवरों (गायों, गाय के बछड़ों) को लेने वाले इच्छुक व्यक्ति, डेयरी संचालक, गौशाला संचालक आदि नियमानुसार नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी/बोली में सम्मिलित होने से पूर्व इच्छुक व्यक्तियों को कम सं0 1 से 11 में दर्शित निर्धारित अग्रिम धनराशि (EMD) नकद जमा करनी होगी एवं नीलाम में बोली लगाने हेतु अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड) एवं फोटो के साथ व्यक्तिगत उपस्थित होना अनिवार्य है। उपरोक्त पालतू जानवर सिर्फ इच्छुक व्यक्तियों/डेरी संचालकों/गौशाला आदि को पालने हेतु ही नीलाम किये जायेंगें किसी भी दशा में मॉस कारोबार के लिये नीलाम नहीं किये जायेंगे ।

3. उच्च बोलीदाता को नीलाम प्रकिया पूर्ण होने पर बोली की समस्त धनराशि तुरन्त नकद जमा करवाना अनिवार्य है।

4. नीलामी में प्रतिभाग करने वाले सभी व्यक्तियों को उपरोक्त नीलामी के अन्तर्गत सभी नियमों, विनियमों और प्रावधानों का पालन करना होगा और केन्द्र/राज्य सरकारों/सरकारी संस्थाओं/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी सभी नियमों, प्रावधानों से वे बाध्य होंगे। नीलामी में प्रतिभाग करने वाला व्यक्ति/नीलामी लेने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त सम्बन्ध में वर्तमान में लागू सभी नियमों, निर्देशों को उसके द्वारा पालन किया जायेगा उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा, कैन्ट बोर्ड कार्यालय या उसका कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

5. नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तो की सम्पूर्ण जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्य दिवस में सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है ।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
Chief Executive Officer
बरेली छावनी परिषद
Bareilly Cantonment Board

पत्रांक : सीबीबी/नीलाम/राजस्व/ई0-3
दिनॉक 28 जुलाई,2020

प्रतिलिपि :-

01.	सम्पादक, हिन्दुस्तान प्रेस, बरेली ।	कृपया उक्त सूचना अपने दैनिक समाचार पत्र में डी0ए0वी0पी0 दरों पर प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें ।
02.	कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं समस्त नोटिस बोर्ड (सदर बाजार, बी0आई0बाजार एवं आर0ए0 बाजार)	समस्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
03.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर ।	कैन्ट बोर्ड की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
04.	समस्त निर्वाचित सदस्यगण, छावनी परिषद बरेली।	सूचनार्थ प्रेषित।
05.	कैटिल पाउण्ड कीपर	सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कैन्टोनमैन्ट बोर्ड बरेली

कॉजी हाउस (कैटिल पाउण्ड) परिसर में बन्द आवारा पालतू जानवरों की सार्वजनिक नीलामी से सम्बन्धित शर्ते

01. नीलाम बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने से पूर्व सार्वजनिक नीलामी सूचना में दर्शित क्रम सं0 1 से 11 में दर्शित निर्धारित अग्रिम धनराशि (EMD) नकद जमा करनी होगी एवं नीलाम में बोली लगाने हेतु अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड) एवं फोटो के साथ व्यक्तिगत उपस्थित होना अनिवार्य है । निर्धारित अग्रिम धनराशि असफल बोलीदाता को नीलामी पूर्ण होने पर तुरन्त वापस कर दी जायेगी और सफल बोलीदाता की रोक ली जायेगी । उच्चतम बोलीदाता को सक्षम प्राधिकारी/कैन्ट बोर्ड/मुख्य अधिशासी अधिकारी की मन्जूरी के पश्चात् बोली की पूरी रकम निर्धारित नियम व शर्तो के अन्तर्गत जमा करनी होगी अन्यथा सम्बन्धित नीलाम निरस्त कर समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

02. सफल बोलीदाता को यदि उपरोक्त नीलाम पर कोई टैक्स, शुल्क, फीस, जी0एस0टी0 आदि देय है तो उसको जमा करने की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी और किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

03. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उसका अन्तिम निर्णय मुख्य अधिशासी अधिकारी/कैन्ट बोर्ड बरेली के पास सुरक्षित है ।

04. नीलाम की मंजूरी कैन्ट बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा होगी।

05. मुख्य अधिशासी अधिकारी/कैन्ट बोर्ड, बरेली को बिना कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार या पुन: नीलाम करने का अधिकार सुरक्षित है।

06. मुख्य अधिशासी अधिकारी/कैन्ट बोर्ड, बरेली प्रशासनिक कारणों अथवा अन्य किसी कारण से उपरोक्त नीलाम को किसी भी समय रद्द करने अथवा उक्त नीलाम को आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

07. अन्य वे सभी शर्ते जो नियमानुसार होगी उनको लागू करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता/कैन्ट बोर्ड को है।

08. किसी भी नियम/शर्त के उल्लंघन करने पर एवं किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मुख्य अधिशासी अधिकारी को बोली राशि को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

09. नीलाम समाप्त हो जाने पर नीलाम किये गये जानवरों को उच्चतम बोलीदाता को सुपुर्दग करने/रसीद जारी करने के बाद किसी भी प्रकार की दुर्घटना, जान-माल की हानि होने पर कैन्ट बोर्ड कार्यालय या उसके किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

10. नीलाम लेने वाला व्यक्ति अनुचित व्यापार, पशु क्रूरता में लिप्त नहीं होगा और यदि कैन्ट बोर्ड कार्यालय/मुख्य अधिशासी अधिकारी के संज्ञान में आता है/रिपोर्ट किया जाता है तो कैन्ट बोर्ड कार्यालय/मुख्य अधिशासी अधिकारी इस प्रकार के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम होंगे और सम्बन्धित व्यक्ति को इस सम्बन्ध में जारी विभागीय निर्देशों का पालन करना होगा।

11. नीलामी में प्रतिभाग करने वाले सभी व्यक्तियों को उपरोक्त नीलामी के अन्तर्गत सभी नियमों, विनियमों और प्रावधानों का पालन करना होगा और केन्द्र/राज्य सरकारों/सरकारी संस्थाओं/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी सभी नियमों, प्रावधानों से वे बाध्य होंगे। नीलामी में प्रतिभाग करने वाला व्यक्ति/नीलामी लेने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त सम्बन्ध में वर्तमान में लागू सभी नियमों, निर्देशों को उसके द्वारा पालन किया जायेगा उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा, कैन्ट बोर्ड कार्यालय या उसका कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

12. उपरोक्त पालतू जानवर सिर्फ इच्छुक व्यक्तियों/डेरी संचालकों/गौषाला आदि को पालने हेतु ही नीलाम किये जायेंगें किसी भी दशा में मॉस कारोबार के लिये नीलाम नहीं किये जायेंगे ।

13. यह कि नीलामी सूचना की शर्ते इसका भाग रहेंगी।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
Chief Executive Officer
बरेली छावनी परिषद
Bareilly Cantonment Board

28/7/20